



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फ़ैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 98 / अका./सम्बद्धता/2015

रायपुर, दिनांक 29 / 12 / 2015

॥ आदेश ॥

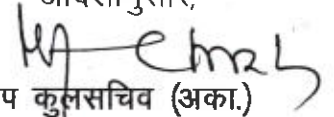
विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 11.12.2015 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15.12.2015 के अनुमोदनानुसार कोपलवाणी श्रवण बाधित महाविद्यालय, पं. सुंदरलाल शर्मा स्कूल कैंपस, सुंदर नगर, रायपुर (छ.ग.) को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:-

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.A. - I (FC, Drawing, Painting, Dance & Sociology)	30	2016-17
2.	D.C.A.	30	

शर्त :-

01. शासन के पत्र क्रमांक एफ 17-50/2015/38-2 दिनांक 10.08.2015 के द्वारा B.A. - I एवं D.C.A. की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 02. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
 03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
 04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
 05. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
 06. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
 07. परिनियम 28 के तहत न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर पूर्ण करें।
 08. शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 17-50/2015/38-2 दिनांक 10.08.2015 की सभी शर्तों के पालन तीन माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करें।
 09. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्व तक करेंगे।
 10. उपरोक्त विषय के द्वितीय वर्ष हेतु नियमानुसार आवेदन 28 फरवरी 2017 के पूर्व प्रस्तुत कर संबद्धता प्राप्त करें।
- उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

आदेशानुसार,

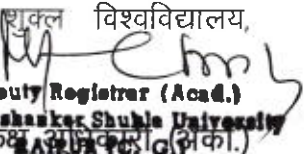

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक : 99 / अका./सम्बद्धता/2015

रायपुर, दिनांक 29 / 12 / 2015

प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
03. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
04. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
05. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
06. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।


Deputy Registrar (Acad.)
Pt. Ravishankar Shukla University
कक्षा 201, रायपुर (छ.ग.)

भाग "ब"

भाग 'अ' में दी गई जानकारी के सत्यापन के बाद निरीक्षण समिति द्वारा भरा जाए।

प्रस्तावित पाठ्यक्रम के संचालन के लिए निरीक्षण समिति का बिंदुवार प्रतिवेदन।

प्रतिवेदन में अनुशंसा न की जाए अपितु पात्रता / अपात्रता का स्पष्ट उल्लेख किया जाए। कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाए,

नहीं सम्बद्धता के लिए शर्त के रूप में मान्य किया जा सके।]

विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 6104/अका/2015 रायपुर दिनांक 30/10/2015 के तहत
आज दिनांक 05/11/2015 को कोपलवाणी (अविन वाधित महाविद्यालय) - माइड कॉलेज
आर्गेनाइजेशन मुन्डर नगर रायपुर में की गई। प्रथम वर्ष (30 सीट) अनुवार्य विषय के शपि
ड्राइंग, पेंटिंग नृत्य एवं सामाजिक विज्ञान तथ्य पालागरी प्राचार्य एवं शिक्षक महोदयों

हस्त निरीक्षण किया गया। जिसमें निम्न तथ्य पालागरी प्राचार्य एवं शिक्षक महोदयों
① महाविद्यालय में 28 परीक्षार्थी हैं।
वि. वि. के

निरीक्षण समिति के संयोजन का नाम एवं हस्ताक्षर

निरीक्षण दल के सदस्यों के हस्ताक्षर - नाम - पता

विषय विशेषज्ञ / विशेषज्ञों के हस्ताक्षर एवं नाम पता

दिनांक

प्रति,

कुलसचिव,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय,

रायपुर (छ.ग.)

की सभी शर्तों के पालन किए जाने की आवश्यकता है।
② प्रस्तावित महाविद्यालय अनशान्तर अनुक्रम संयोजित विधि 62 प्रकार है।

④ श्री. भगवत सिंह

⑤ श्री. प्रमोद शर्मा

⑥ श्री. क. पटेल